

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2025 — पौष 13, शक 1946

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्र. एफ 8-03/35/2025/41.— “पशुओं में संकामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27)” की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों के तहत जिला-धमतरी में रैलैन्डर्स रोग के उद्भव के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण व उन्मूलन हेतु राज्य सरकार, एतदद्वारा, राज्य के धमतरी नगर निगम क्षेत्र को आगामी तीन माह हेतु अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु “नियंत्रित क्षेत्र” घोषित करती है, परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के आवागमन को धमतरी नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित करती है।

No. F 8-03/35/2025/41.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of section 7 of the 'Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009)', the State Government hereby declares the Dhamtari Municipal Corporation area of the State as "controlled area" for equine animals for the next three months for prevention, control and eradication of the Glanders disease and consequently prohibits the movement of animals belonging to equine species in the Dhamtari Municipal Corporation area.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप-सचिव.